

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 473]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2019/श्रावण 29, 1941

No. 473]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2019/SHRAVANA 29, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2019

सं. 36/2019-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 583(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (इसके पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 164 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफ़ारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्दवारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 22/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23 अप्रैल, 2019, जिसे सा.का.नि. 323 (अ), दिनांक 23 अप्रैल, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:

उक्त अधिसूचना में "21 अगस्त, 2019" शब्द और अंक के स्थान पर, "21 नवंबर 2019" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 20/06/07/2019-जीएसटी]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना सा.का.िन. संख्या 323(अ), 23 अप्रैल, 2019, के तहत अधिसूचना सं. 22/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23 अप्रैल, 2019 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 25/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 21 जून, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.िन. सं. 443(अ), तारीख 21 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा इसमें पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया था।

4278 GI/2019 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2019

No. 36/2019-Central Tax

G.S.R. 583(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No.22/2019-Central Tax, dated the 23rd April, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 323(E), dated the 23rd April, 2019, namely:—

In the said notification, for the figures, letters and words "21st day of August, 2019" the figures, letters and words "21st day of November, 2019" shall be substituted.

[F. No. 20/06/07/2019-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note: The principal notification No. 22/2019-Central Tax, dated the 23rd April, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 323(E), dated the 23rd April, 2019 and was subsequently amended by notification No. 25/2019-Central Tax, dated the 21st June, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 443(E), dated the 21st June, 2019.